कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

आदेश संख्या : स्था/2025/432 दिनांक : 19 नवम्बर, 2025

इस न्यायक्षेत्र के श्री संजीव सिंह सिसोदिया, लिपिक ग्रेड–II जिनकी राजकीय सेवा में रहते हुए दिनांक 05.09.2025 को मृत्यु हो चुकी है, की पत्नी **ममता पत्नी स्व. संजीव सिंह सिसोदिया (पुत्री बन्ने सिंह चौहान), जन्म तिथि 07.02.1975 (सात फरवरी उन्नीस सौ पिचहत्तर), शैक्षणिक योग्यता–9वीं उत्तीर्ण, निवासी वार्ड नं. 40 हनुमान हत्था, बीकानेर, राजस्थान** द्वारा दिनांक 10.11.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ संलग्न पूर्व में प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों के आधार पर आवेदक द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता रखने पर राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 के नियम 14 एवं राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत इस कार्यालय में **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी** के रिक्त पद पर कार्यभार संभालने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षाणार्थी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

उक्त नियुक्ति वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 12(6),एफ.डी./रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, एफ.6(6) एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ. 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ.13(1)एफडी/ रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 में वर्णित शर्तो के अनुरूप रहेगी तथा उक्त पद पर की गई नियुक्ति उक्त शर्तो के साथ–साथ निम्न शर्तो के अध्ययधीन भी होगी :–

1. वित्त विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–15(1) एफडी/ रूल्स/2017 दिनांक 31.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के द्वारा अधिसूचित राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 की अनुसूची 04 के नियम 16 के संबंधित लेवल एल–02 के अनुसार परिवीक्षाकाल में नियत पारिश्रमिक रूपये **12,600/– रूपये (अक्षरे बारह हजार छः सौ रूपये मात्र)** प्रतिमाह की दर से देय होगा एवं इसी अधिसूचना के तहत अन्य नियम/प्रावधान लागू होंगे।
2. दो वर्ष की परिवीक्षाकाल में सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त इन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियमित वेतन श्रृंखला वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं 11.12.2024 द्वारा, राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन नियम 2017) की अनुसूची प्रथम पार्ट–बी के नियम 05 (vi) और (vii) के पे–मैट्रिक्स के अनुसार लेवल L-2 के सेल नंबर 01 के अनुसार वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
3. राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को देय पेंशन एवं अन्य सेवालाभ के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश/आदेश लागू होंगे।
4. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.02.2001 द्वारा नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार मृतक के अन्य आश्रित सदस्यों का उचित भरण पोषण नहीं करने की स्थिति में तत्काल सेवा समाप्त की जा सकेगी।
5. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शासित होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
6. आवेदिका को कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय/भत्ता देय नहीं होगा।

.....2

आवेदिका को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपनी उपस्थिति इस कार्यालय में निम्नांकित मुल एवं फोटो प्रति दस्तावेजों/ प्रमाणपत्रों के साथ देनी होगी, निर्धारित समयावधि में उपस्थिति नहीं देने पर बिना किसी पूर्व सूचना के नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व पदस्थापन कार्यालय अध्यक्ष उल्लेखित मुल प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/अन्य समस्त दस्तावेजों की नियमों के तहत जांच/परीक्षण कर नियुक्ति प्रकिया की अन्य पूर्तियॉ पूर्ण करने के बाद पूर्ण सन्तुष्टि के उपरान्त ही पदस्थापन स्थान पर ड्यूटी पर लिया जावेः–

1. सक्षम अधिकारी (मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी) द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
2. आयु एवं शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र।
3. संबंधित गृह जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस सत्यापन रिपोर्ट।
4. अन्तिम शैक्षणिक संस्थान एवं दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र।
5. आवेदिका की नियुक्ति स्वास्थ्य परीक्षण/पूर्वाचरण तथा उनके द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक पाये जाने के अध्यधीन होगी।

कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन कमांक एफ–05(51) डी.ओ. पी/ए–।।/88/पार्ट दिनांक 08.05.2015 अनुसरण में आवेदिका कार्यभार ग्रहण के समय मृतक कर्मचारी की पत्नी एवं उसका कोई एक पुत्र, अविवाहित पुत्री दत्तक पुत्र/पुत्री केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/नियम जो पूर्णतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण मे हो के अधीन नियोजित नहीं होने का शपथं–पत्र प्राप्त करने के बाद ही ड्यूटी जोईन करवाई जावेगी। यदि मृतक आश्रित की नियुक्ति (कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक) तक मृतक आश्रित परिवार का कोई सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो, के अधीन नियोजित होने पर अनुकम्पा नियुक्ति देय नहीं है।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बीकानेर।

क्रमांक : स्था./2025/5405 दिनांक : 19 नवम्बर, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा, जिला एवं सेशन न्यायालय, बीकानेर।
2. जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर को पुलिस सत्यापन हेतु।
3. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, बीकानेर।
4. सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग।
5. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय बीकानेर को इस कार्यालय की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित मृतक आश्रित आवेदिका ममता पत्नी स्व. संजीव सिंह सिसोदिया (पुत्री बन्ने सिंह चौहान), निवासी वार्ड नं. 40 हनुमान हत्था, बीकानेर, राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बीकानेर।